"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015—वैशाख 25, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एन. के. असवाल, भा.प्र.से. (1983), अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिलीप कुमार वासनीकर, भा.प्र.से. (2002) संचालक, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003), पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ एवं संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/एक/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री के. आर. पिस्दा, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1996) सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त तथा सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग (अतिरिक्त प्रभार आयुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर) को "पेंशन निराकरण समिति" के कार्य हेतु अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन सचिव, वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक ई 7-40/2004/1/2.— राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. बी. एस. अनन्त, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर दिनांक 10-02-2014 से दिनांक 24-02-2014 तक (15 दिवस) अर्जित अवकाश (कार्योत्तर) एवं दिनांक 30-06-2014 से दिनांक 06-08-2014 तक (38 दिवस) लघुकृत (चिकित्सा) अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में डॉ. अनन्त को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अनन्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्रमांक ई 7-10/2005/1/2.— राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजयपाल सिंह, भा.प्र.से., प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, रायपुर को दिनांक 21-04-2015 से दिनांक 14-05-2015 तक (24 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री अजयपाल सिंह के उक्त अवकाश अवधि में सुश्री श्रुति सिंह, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, रायपुर का कार्य भी सम्पादित करेगी.

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक ई 7-01/2003/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 06-05-2015 से दिनांक 30-05-2015 तक (25 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्रीमती निधि छिब्बर के उक्त अवकाश अवधि में श्री डी.डी. सिंह, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-1/2014/1/5.—राज्य शासन, एतद्द्वारा दिन शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2015 को "चैतीचांद" के अवसर पर, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में केवल शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अवकाश घोषित करता है.

2. उक्त अवकाश के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी, अर्थात उक्त दिनांक को निर्धारित परीक्षाएं यथावत होंगी.

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 1-1/2014/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यंक अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर, 2014 के अनुक्रम में "डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती" दिनांक 14 अप्रैल, 2015 दिन मंगलवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में "सार्वजनिक अवकाश" का दिन घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-11/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी.व्ही. नरसिंग राव, मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर को दिनांक 27-04-2015 से 02-05-2015 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26-04-2015 का पूर्ववर्ती एवं 03-04 मई 2015 के पश्चात्वर्ती राजपत्रित अवकाश स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राव, मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-10/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह, भा.व.से., सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को स्वयं के चिकित्सकीय जांच हेतु दिनांक 15-04-2015 से 15-05-2015 तक कुल 31 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-12/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजू अगासीमनि, वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल, कटघोरा को दिनांक 07-05-2015 से 23-05-2015 तक कुल 17 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनाक 24 मई 2015 के पश्चात्वर्ती राजपत्रित अवकाश स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अगासीमनि, वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल, कटघोरा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अगासीमनि को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अगासीमनि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-15/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. तिवारी, प्रबंधक (प्रशासन) राज्य वन विकास निगम, रायपुर को दिनांक 27-04-2015 से 08-05-2015 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 26-04-2015 का पूर्ववर्ती एवं 09-10 मई 2015 के पश्चात्वर्ती राजपत्रित अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी, प्रबंधक (प्रशासन) राज्य वन विकास निगम, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-20/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती नेहा चम्पावत, भापुसे (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 20-04-2015 से 08-05-2015 तक (कुल 19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 18 एवं 19 अप्रैल, 2015 तथा दिनांक 09 एवं 10 मई, 2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती चम्पावत आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्रीमती चम्पावत को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा चम्पावत, भापुसे (2004) अवकाश पर नहीं जातीं, तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती चम्पावत की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग के पद पर प्रभार, श्रीमती मिलना कुर्रे, भापुसे., सहायक पुलिस महानिरीक्षक (अजाक), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-05/2015/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री के. सी. अग्रवाल, भापुसे (2002), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार/सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 05-05-2015 से 19-05-2015 तक (कुल 15 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 03 एवं 04 मई 2015 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार/सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. अग्रवाल, भापुसे (2002) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अग्रवाल की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार/सुरक्षा के पद का प्रभार, श्री उमेश चौधरी, रापुसे., सहायक पुलिस महानिरीक्षक (छसबल), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2015

क्रमांक 3020/736/21-ब/छ.ग./15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजीव पाण्डेय, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर के द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 18-06-2014 से नोटरी का पद त्याग करने की सहमति दिये जाने के फलस्वरूप उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007 के नियम 91 के अनुसार गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2006 धारा 29 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007 के नियम 20 (1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नानुसार जिलों में बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करते हुए समिति गठित/पुनर्गठित करता है :—

क्र.	जिले का नाम	चयनित अध्यक्ष का नाम	चयनित सदस्य का नाम	
			मुक्त	महिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दंतेवाड़ा	श्रीमती अनुमेहा तिवारी, मेन रोड हारम पारा, गीदम, जिला-दंतेवाड़ा, मो. नं. 91790-08001	-	-
2.	बलरामपुर	श्रीमती पुष्पांचला चौधरी, ग्राम-नवकी, पो.-राजपुर, जिला-बलरामपुर मो. नं. 97537-75311, 99770-22938	-	-
3.	नारायणपुर	-	श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवांगन महावीर चौक नारायणपुर, पो. व तह.-नारायणपुर जिला-नारायणपुर.	श्रीमती सचि देवांगन, महावीर चौक, बुधवारी बाजार वार्ड क्र.-8, नारायणपुर मो. नं. 94076-17191
4.	बिलासपुर	-	कु. छाया जाधव, मातृछाया, टिकरापारा, जिला बिलासपुर मो. नं. 98275-10331	-
5.	बेमेतरा	-	श्रीमती सरला शर्मा, श्री बृज भूषण लाल शर्मा, ग्राम-नौकेश, ब्लाक-साजा, जिला-बेमेतरा.	-
6.	कोण्डागांव	-	श्री घनश्याम सिंह नाग, ग्राम व पोस्ट-पिपराबहीगांव, तह.-केशकाल, जिला-कोण्डागांव मो. नं. 94242-77354	-

उपरोक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

1. उपरोक्त चयन सूची अभ्यार्थियों द्वारा दिए गये आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी अथवा शिकायत की दशा में संबंधित का चयन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

2. बालक कल्याण समिति की कालावधि आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए होगी और अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अधिकतम दो कालावधियों के लिए होगी.

3. यह समिति बाल गृह के परिसर में अथवा जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा निर्धारित स्थान में अपनी बैठक आहूत करेगी.

4. बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य की सदस्यता अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

5. कण्डिका 4 के अतिरिक्त समिति के सदस्य लिखित में 1 मास का अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय पद त्याग सकेगा.

6. समिति बच्चों के कल्याण व संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार सुसंगत कार्यवाही करेगी.

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) के तहत गठित निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त सामाजिक सदस्य के पद पर राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों की नियुक्ति करते हुए किशोर न्याय बोर्ड का पुनर्गठन करता है :—

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड (2)	क्षेत्र/सम्मिलित जिले (3)	चयनित सामाजिक कार्यकर्ता का नाम (4)
1.	रायपुर	रायपुर	1. श्री संतराम वर्मा, ग्राम-पिपरहट्टा, पोस्ट-गोढ़ी, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर, मो. नं. 99071-77373. 2. श्रीमती कामिनी सिंग जॉन, डी/ओ क्वार्टर, पेंशनबाड़ा, रायपुर मो. नं. 94241-54229
2.	कांकेर	कांकेर	कु. सीरात्री निषाद, डी/ओ रामेश्वरी निषाद, ग्राम व पोस्ट-भिलाई, तह. चारामा, जिला-कांकेर, मो. नं. 81200-60955, 79974-68622

उपरोक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :—

1. उपरोक्त चयन, अभ्यार्थियों द्वारा दिए गये आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर किया गया है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी अथवा शिकायत की दशा में संबंधित का चयन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति को होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा.

2. किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्य की कालावधि आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए होगी.

3. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य की सदस्यता अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

4. कण्डिका 4 के अतिरिक्त समिति के सदस्य लिखित में 1 मास का अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय पद त्याग सकेगा.

5. बोर्ड के लिए उपरोक्त चयनित सामाजिक सदस्य, बच्चों के कल्याण व संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की सदस्य की हैसियत से सुसंगत कार्यवाही करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 6-27/2013/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2008 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची में अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में उनके सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये कार्यालय में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरण होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1	श्री मंगेश कारेकर, S/o श्री डी. आर. कारेकर, एम.आई.जी.-15, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, अघनपुर, धरमपुरा रोड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.) पिन कोड-494005	अनारक्षित	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-एक, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित (वाणिज्यिक कर) सेवा भर्ती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, अवर सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 1-93/2010/नौ/17-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरा-मेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-एक में शीर्षक "नर्सिंग सेवा संवर्ग" के अंतर्गत सरल क्रमांक 3 की प्रविष्टि स्टाफ परिचारिका (स्टाफ नर्स) से संबंधित कॉलम (6) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, नया रायपुर"

No. F 1-93/2010/नौ/17-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Health and Family Welfare Department Non-ministerial Para-Medical and Nursing (Directorate Health Services) Class-III Service Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

In Schedule-I, under the heading "Nursing Service Cadre", for the entry in column (6) relating to entry Staff Nurse of serial number 3, the following shall be substituted, namely :—

"Joint Director Health Services, Chhattisgarh, Naya Raipur"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 01-50/2008/23.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 1 कॉलम (4) में, शब्द एवं अंक "3 वर्ष" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "5 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 3 एवं 4 के कॉलम (6) में शब्द एवं अंक "4 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात्, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति के लिये अनुशंसा की जायेगी" के पश्चात्, चिन्ह् एवं शब्द "। विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में विभाग पृथक से निर्देश जारी करेगा." जोड़ा जाये.

No. F 01-50/2008/23.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh State Economics and Statistical (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In column (4) of serial number 1 of Schedule-IV, for the word and figure "3 years", the word and figure "5 years" shall be substituted.

2. In column (6) of serial number 3 and 4 of Schedule-IV, after the words and figure "After 4 years of service the recommendation for promotion will be given after passing the departmental examination", the symbol and words ". Department will issue the instructions regarding syllabus and procedure etc. of the departmental examination separately." shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्रमांक 10457/एफ-04-07/बजट/2013/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा कृषि विभाग के "अशासकीय संस्था अनुदान नियम, 2013" (छत्तीसगढ़ राजपत्र-असाधारण दिनांक 28-01-2014 में प्रकाशित) में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

भाग-2 (4) :—

"कर्मचारियों के वेतन एवं मानदेय हेतु शत-प्रतिशत अनुदान दी जावेगी. शेष समस्त आवेदित गतिविधियों हेतु प्रदत्त अनुदान के अतिरिक्त लगनी वाली राशि को संस्था स्वयं अपने स्त्रोतों से पूरा करेगी. संस्था को दी जाने वाली अनुदान उसको स्वीकृत सभी गतिविधियों एवं मदों में होने वाले वास्तविक व्यय की 90 प्रतिशत राशि से अनाधिक होगी."

के उपरांत निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

"किन्तु रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर को कर्मचारियों के वेतन एवं मानदेय तथा शेष समस्त आवेदित गतिविधियों हेतु शत-प्रतिशत अनुदान देय होगा."

भाग-4 (अ) (1) :—

"नवीन अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक संस्था को जिला कलेक्टर के कार्यालय में 31 अगस्त के पूर्व विहित प्रपत्रों में आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए. कलेक्टर कार्यालय से 31 अक्टूबर के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को 31 दिसम्बर के पूर्व शासन को अनुशंसा सहित प्रेषित किया जाना चाहिए."

के उपरांत निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

"किन्तु रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के प्रस्ताव पूर्व विहित प्रपत्रों में सीधे विभागाध्यक्ष को 31 अक्टूबर के पूर्व प्रेषित किये जा सकेंगे तथा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक अनुशंसा सहित 31 दिसम्बर के पूर्व शासन की स्वीकृति के लिए प्रेषित किये जायेंगे."

भाग-4 (अ) (2) :—

"अनुदान नवीनीकरण के प्रस्ताव यथा आवश्यक 30 जून तक जिला कलेक्टर को तथा जिला कलेक्टर के परीक्षण पश्चात् अनुशंसा से 31 अक्टूबर, को विभागाध्यक्ष के द्वारा परीक्षण पश्चात् अनुशंसा सहित शासन की स्वीकृति के लिए प्रकरण के साथ 31 दिसम्बर तक प्रेषित की जानी चाहिए."

के उपरांत निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

"किन्तु रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के प्रस्ताव पूर्व विहित प्रपत्रों में सीधे विभागाध्यक्ष को 31 अक्टूबर के पूर्व प्रेषित किये जा सकेंगे तथा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक अनुशंसा सहित 31 दिसम्बर के पूर्व शासन की स्वीकृति के लिए प्रेषित किये जायेंगे."

भाग-4 (अ) (11) :—

"जिस वित्तीय वर्ष के लिए संस्था को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है उसका उपयोग निर्धारित प्रयोजन में उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए. आर्थिक सहायता में से अव्ययित रह जावे उसे विभाग के प्राप्ति शीर्ष में 31 मार्च, तक चालान द्वारा जमा किया जाना होगा."

के उपरांत निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

"किन्तु रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर को उक्त प्रावधानों से इस शर्त पर छूट प्रदान की जाती है, कि वित्तीय वर्ष के अंत में विमुक्त अनुदान राशि में से कुछ अंश अव्ययित शेष के रूप में शेष रह जाता है, उसका समायोजन आगामी वर्ष जारी की जाने वाली प्रथम किश्त के विरुद्ध किया जायेगा. संचालक कृषि द्वारा सीधे संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के बैंक खाते में अनुदान राशि इलेक्ट्रानिक फण्ड ट्रान्सफर के माध्यम से प्रदाय की जायेगी."

उपरोक्त संशोधनों पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक F-2014-14-00298 दिनांक 04-02-2015 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2015

क्रमांक/606/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-87/2012/ग्यारह/(छ:), रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012, यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 19 सितम्बर, 2013 तथा अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा जारी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के खण्ड 9.4 के अध्याधीन रहते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 2617/डी-15/116/पार्ट-2/14-2, रायपुर, दिनांक 11 जून, 2014 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की मंडियों से प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए क्रय की गई कृषि उपज पर, कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को, राज्य की मण्डियों से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए कृषि उत्पादों (कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के परिशिष्ट-एक में उल्लिखित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मण्डी शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करती है तथा छूट की अधिकतम सीमा, प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 75% के समतुल्य होगी;

यत:, यह छूट, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2615/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2, दिनांक 11 जून, 2014 द्वारा जारी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2012 के अंतर्गत मण्डी शुल्क में छूट नियम, 2014 के अध्यधीन, लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2015

क्रमांक/606/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/606/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 दिनांक 06-05-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 6th May 2015

No./606/D-15/116/Part-II/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and subject to clause 9.4 of the Agro and Food Processing Industries Policy, 2012 issued vide Department of Commerce and Industries's Notification No. F 20-87/2012/11/(6), Raipur dated 26th October, 2012, as amended by Notification dated 19th September, 2013 and Notification dated 31st January, 2014, the State Government, in supersession of this department's earlier Notification No./2617/D-15/116/Part-II/14-2, Raipur, dated 11th June, 2014, hereby, grants total exemption to processing units of Agriculture and Food Produce from market fee levied on agricultural produce (except non-eligible industries mentioned in Annexure-One of the Agro and Food Processing Industries Policy, 2012) for five years from the date of first purchase of raw materials from markets in the State, on purchased agricultural produce for the purpose of processing in markets in the State of Chhattisgarh and the maximum limit of exemption shall be equivalent to 75% of fixed capital investment made by the processing units;

Whereas, this exemption is applicable subject to the Mandi Sulk Me Chhut Niyam, 2014 under Agro and Food Processing Industries Policy, 2012 issued by this Department Notification No./2615/D-15/116/Part-II/2004/14-2, dated 11th June, 2014.

By order and the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2015

क्रमांक एफ 6-9/36/तक/2013-15/108.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-2/36/2002/985-986, रायपुर दिनांक 24-3-2003 द्वारा जारी मछली पालन नीति के कंडिका क्रमांक 1.4 के स्थान पर राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित करता है :—

"1.4.1 200 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर के जलाशय/बैराजों को निर्धारित समयावधि के लिए पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/समूहों को पट्टे पर दिया जाएगा तथा 1000 हेक्टेयर से अधिक के जलाशयों/बैराजों को मत्स्य पालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य महासंघ के पास रहेंगे. मत्स्य महासंघ द्वारा उक्त जलाशयों को खुली निविदा आमंत्रित कर पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति, पंजीकृत व्यावसायिक संस्था/कंपनी/फर्म/समूह/व्यक्ति को निर्धारित समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जावेगा एवं मत्स्य महासंघ द्वारा उक्त जलाशयों की नीलामी से प्राप्त आय का 50% रायल्टी राज्य शासन के खाते में जमा किया जायेगा.

खुली निविदा से जिस संस्था/व्यक्ति को जलाशय/बैराज आवंटित होंगे, वे स्थानीय मछुआरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे तथा स्थानीय मछुआरों के माध्यम से मत्स्याखेट करेंगे.

1.4.2 राज्य में प्रवाहित नदियों पर बने एनीकट्स एवं उन पर स्थित दहों (Deep pool) को निर्धारित समयावधि के लिए मछुआ सहकारी समिति/समूहों/मछुआ व्यक्ति को पट्टे पर दिये जाएंगे, एनीकट व दहों को पट्टे पर देने की कार्यवाही संचालक, मछली पालन के माध्यम से की जाएगी."

2. विभागीय सम संख्यक आदेश क्रमांक एफ 11-2/36/2002/985-986, दिनांक 24-3-2003 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक 0663 को दिनांक 26-08-2014 से 31-10-2014 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक-M.P./3216 को दिनांक 23-08-2014 से 22-11-2014 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक-M.P./3434 को दिनांक 23-08-2014 से 22-11-2014 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक-M.P./3530 को दिनांक 14-03-2015 से 13-09-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक-M.P./4297 को दिनांक 23-01-2015 से 22-07-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक-M.P./3656 को दिनांक 04-03-2015 से 03-06-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक/1528/04 अ-82/वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	बालोद	परसदा	0.220	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	पापरा परसदा मार्ग गोरियान नाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद मुख्यालय बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/03/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	धनगांव प.ह.नं. 17	0.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	धनगांव जलाशय के नहर में प्रभावित ग्राम धनगांव.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/04/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	बहेरा प.ह.नं. 25	1.99	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	सिरवाबांधा जलाशय में प्रभावित ग्राम-बहेरा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/06/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	चारभाठा प.ह.नं. 24	0.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/07/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	सिरवाबांधा प.ह.नं. 26	0.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	सिरवाबांधा जलाशय के नहर में प्रभावित ग्राम सिरवाबांधा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/08/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	पिकरी प.ह.नं. 26	2.035	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	पिकरी जलाशय योजना के डूबान में प्रभावित ग्राम पिकरी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/09/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	पंडरभट्ठा प.ह.नं. 16	0.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	झाल जलाशय योजना के डूबान में प्रभावित ग्राम पंडरभट्ठा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/10/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	झालम प.ह.नं. 17	0.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	सकरी फेस-2 के अंतर्गत झालम माइनर नहर में प्रभावित ग्राम झालम.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/11/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	ठेंगाभाट प.ह.नं. 02	1.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	हेम्प व्यपवर्तन दाहिनी तट मुख्य नहर के बोहारडीह माइनर नहर में प्रभावित ग्राम ठेंगाभाट.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/12/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	बेलदहरा प.ह.नं. 04	0.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	बेलदहरा जलाशय योजना के डूबान में प्रभावित ग्राम तिलईपार.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/13/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	नवागढ़	तिलईपार प.ह.नं. 04	0.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	बेलदहरा जलाशय योजना के नहर में प्रभावित ग्राम तिलईपार.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक/14/अ-82/भू-अर्जन/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	सिरवाबांधा प.ह.नं. 26	1.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा.	सिरवाबांधा जलाशय के डूबान में प्रभावित ग्राम सिरवाबांधा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर, दिनांक 1 मई 2015

क्रमांक/1175/चिकित्सा (12)/ज्ये.लि.2/2013.—जिले में गर्मी एवं वर्षा के मौसम प्रारम्भ होते ही (जलजनित संक्रामक रोग) जैसे उल्टी-दस्त, आन्त्रशोथ, पीलिया आदि के फैलने का खतरा प्रारंभ हो जाता है. गर्मी एवं वर्षा ऋतु में इन बिमारियों के महामारी का रूप धारण करने की संभावना रहती है, और इन पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण के उपाय हर स्तर पर किया जाना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपात्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं टामन सिंह सोनवानी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उक्त विनियम के नियम-3 के अधीन सम्पूर्ण नारायणपुर जिला को 6 माह (छ: माह) की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

2. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैंडों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट-बाजारों एवं अन्य साधनों से सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग-सब्जियां, मिष्ठान, मॉस मछलियों, अनाज-रोटी मानवीय उपयोग के लिये पेय पदार्थ जैसे-बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्नारस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ.ग. आपात्तिक हैजा जठर, आंत्रशोथ तथा संक्रामक यकृत शोथ विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय नारायणपुर के खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् को निरीक्षण एवं सघन अभियान व प्रचार-प्रसार चलाने के लिये निर्देश दिये जाते हैं.

3. जिले के महत्वपूर्ण बस स्टैण्ड एवं सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

4. यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

टामन सिंह सोनवानी,
कलेक्टर.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/586.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2013-14/4557-58 रायपुर, दिनांक 03-10-2013 द्वारा श्री दीपक कुमार अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग/अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला रायपुर का पत्र क्रमांक 137 दिनांक 25-04-2015 द्वारा श्री बी. आर. देवांगन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति नवापारा के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री दीपक कुमार अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर के स्थान पर श्री बी. आर. देवांगन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग-अभनपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2014/1179.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के आदेश संख्या 76/छ.ग.-लो.स./2014, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 द्वारा लोकसभा साधारण निर्वाचन-2014 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02-रायगढ़ (अ.ज.जा.) एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07-दुर्ग से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 7 अप्रैल, 2015—17 चैत्र, 1937 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-लो.स./2014—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है.

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	रामनारायण आयम ग्राम-नवगई, पो.-रघुनाथनगर, तह.-वाड्रफनगर, जिला-बलरामपुर, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	धनंजय राठिया मु.-मौहापाली, तह.-खरसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
3.	—वही—	7-दुर्ग	मन्नू लाल परगनिहा 793, आदर्श नगर, चरोदा, बी.एम.वाय. तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	—वही—	अल्फ्रेड विकास लुइस म.नं. 259 ई.डब्ल्यू.एस., वैशाली नगर, भिलाई जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
5.	—वही—	—वही—	सरजू प्रसाद शुक्ला धनोरा रोड, बोरसी, तह. व जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 7th April 2015—17 Chaitra, 1937 (Saka)

ORDER

No. 76/CGH-HP/2014.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2014 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation, if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No. (1)	Particulars of Election (2)	Number & Name of the Constituency (3)	Name & Address of the Candidate (4)	Reason of disqualification (5)
1.	General Election to the House of the People 2014 from the State of Chhattisgarh	2-Raigarh (ST)	Ram Narayan Ayam Vill.-Navgai, P. O.-Raghunathnagar, Tah.-Wadrafnagar, Dist.-Balrampur (C.G.)	Failure to lodge any account of Election expenses
2.	—do—	—do—	Dhananjay Rathiya Vill.-Mouhapali, Tah.-Kharsia, Distt.-Raigarh (C.G.)	—do—
3.	—do—	7-Durg	Mannu Lal Parganiha 793, Aadarsh Nagar Charoda, B.M.Y, Tahsil-Patan, District-Durg (C.G.)	—do—
4.	—do—	—do—	Alfred Vikas Louise House No. 259, EWS, Vaishali Nagar, Bhilai Dist.-Durg (C.G.)	—do—
5.	—do—	—do—	Sarju Prasad Shukla Dhanora Road, Borsi, Tahsil & District-Durg (C.G.)	—do—

By order,

Sd/-

(R. K. SHRIVASTAVA)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 13 मार्च 2015

क्रमांक/570/न.ग्रा.नि./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भानुप्रतापपुर निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कार्यालय भवन (प्रदर्शनी स्थल) भानुप्रतापपुर, कार्यालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कांकेर में दिनांक 16-03-2015 से कार्यालयीन अवधि के

दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. भानुप्रतापपुर निवेश क्षेत्र की सीमायें निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

भानुप्रतापपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कराठी, चौगेल एवं मुल्ला ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मुल्ला, भानुप्रतापपुर, रानवाही एवं नारायणपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम नारायणपुर, कन्हार गांव एवं कराठी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कराठी की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भू उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस प्रकार सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के समयावधि के भीतर लिखित रूप में सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर को प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान भू उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 570/T & CP/2015.— Notice is hereby given that the existing use map for Bhanupratappur Planning Area has been prepared under section 15 sub-section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy there of is available for inspection from 16-03-2015 during office hours in the office of Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat (Exibition Venue) Bhanupratappur, Office of the Collector, North Bastar, Kanker and office of Assitant Director, Town & Country Planning, Kanker the Limit of the Bhanupratappur Planning Area is defind in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Bhanupratappur Planning Area

NORTH : Villages Karathi, Chaugel & Mulla up to Northern limit of Village.

EAST : Mulla, Bhanupratappur, Ranwahi & Narayanpur up to the Eastern limit of Village.

SOUTH : Narayanpur, Kanhargaoun & Karathi up to southern limit of Village.

WEST : Village Karathi up to the Western limit of Village Mahud.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Kanker within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2015

छुईखदान निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक 838/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र.प्लान छुईखदान/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छुईखदान निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव एवं कार्यालय नगर पंचायत छुईखदान में दिनांक 14-05-2015 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

छुईखदान निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

छुईखदान निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम शामपुर, ग्राम लक्ष्मणपुर तथा ग्राम राधापुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम लक्ष्मणपुर, ग्राम राधापुर तथा ग्राम छुईखदान की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम राधापुर, ग्राम छुईखदान तथा ग्राम नवागांव (रामपुर) की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम नवागांव (रामपुर) तथा ग्राम शामपुर की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :—

1. कार्यालय, नगर पंचायत, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कम्पोजिट बिल्डिंग, कक्ष क्रमांक 10/2, कलेक्टोरेट परिसर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

No. 838/T & CP/Rajnandgaon/S.P.-Chhuikhadan/2015.— Notice is hereby given that the existing land use map for Chhuikhadan Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 14-05-2015 during office hours in the offices of the Collector District Rajnandgaon C. G., Office of the Sub-divisional officer (revenue) Khairagarh, office of the Deputy Director Town and Country Planning Rajnandgaon, and Office of the Nagar Panchayat Chhuikhadan C. G.

The limit of Chhuikhadan Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Chhuikhadan Planning Area

NORTH	:	Village Shampur, Lakshamanpur upto the Northern limit of Radhapur.
EAST	:	Village Lakshamanour, Radhapur upto the Eastern limit of Village Chhuikhadan.
SOUTH	:	Village Radhapur, Chhuikhadan upto the Southern limit of Navagaon (Rampur).
WEST	:	Village Navagaon (Rampur) upto the Western limit of Shampur.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to the above mentioned places, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette."

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Deputy Director, Town and Country Planning Rajnandgaon, Chhattisgarh.

Inspection Site :—

1. Office of the Nagar Panchayat, Chhuikhadan, District-Rajnandgaon (C.G.)
2. Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Composite Building, Room No. 10/2, Collectorate Campus, District-Rajnandgaon (C.G.).

विनीत नायर,
उप-संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर (खनि शाखा), राजनांदगांव, (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 12 मई 2015

क्रमांक/599/ख.लि. 03/2015.—छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 33 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र निम्न श्रेणी चूनापत्थर के उत्खनिपट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात्, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 30(3) के निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन ही उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदार का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा क्रमांक	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्री जेसल एस. लाल निवासी-महेश नगर, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	डुमरडीहकला	राजनांदगांव	505/2 एवं 508/1	1.00	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	निजी	उत्खनिपट्टे की अवधि समाप्त होने के कारण

टीप :— भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य है.

मुकेश बंसल,
कलेक्टर.